



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 02-05-21

थाना कविनगर पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार , कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल व 1 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद—

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा लूट के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 534/2021 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.05.2021 को राज गैस एजेन्सी के पास से थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल होन्डा साईन व लूटा गया मोबाईल फोन ओपो रंग लाल व 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुए अभियुक्त से बरामद तमंचे व कारतूस के सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 606/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 13.04.21 को वादी मुकदमा श्री मनीष त्यागी पुत्र श्री एस पी त्यागी निवासी 131 सैक्टर 03 चिरंजीव बिहार थाना कविनगर गाजियाबाद का मोबाईल फोन ओपो रंग लाल को होन्डा साईन मोटर साईकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा छीन ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 534/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया, थाना कविनगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल व लूटा गया मोबाइल फोन व 01 तमंचा व 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो मौका पाकर रास्ते मे चलते व्यक्तियों से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष शिक्षा 12वी पास।

बरामदगी का विवरण –

लूटा गया मोबाइल फोन ओपो रंग लाल

घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल होन्डा साईन नं0 UP14DK 6205

01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पुष्पेन्द्र-

1- मु0अ0सं0 534/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

2- मु0अ0सं0 606/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

